न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 71/12 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. महावीर सिंह पुत्र सूरता जाति जाट निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:––– अपीलांट

बनाम

1 कर्णसिंह पुत्र सूरता
2 गजेसिंह पुत्र कर्णसिंह
3 अमजित पुत्र कर्णसिंह
4 नीतू पत्नी गजेसिंह,
5 पूनम पत्नी अतजीत
6 राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
7 गीलू पुत्र रामस्वरूप
8 प्रकाश पुत्र बोदा
9 बाला पत्नी प्रकाश
10 संतोष पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:–––'––––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 25.5.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री संजय यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अजय यादव

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 22.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 212/2011 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.5.2012, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 2037/2/0–04, 2037/2619/3–07, 2049/1–14, 2286/0–05, 2287/0–05, 2334/0–10 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की है, जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल हो रहा है । आराजी खसरा नम्बर 2037/2 व 2037/2619 में प्रार्थी ने विद्युत कनेक्शन ले रखा है । अप्रार्थीगण लडाकू किस्म के हैं । वे प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 25.5.2012 द्वारा खारिज किया है, जिस निर्णय के व्यथित होकर प्रार्थी वादी ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । अपीलांट अपने खेतों की सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है । परन्तु रेस्पो0 आये दिन अपीलांट के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । वे अपीलांट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । इसलिये उनको पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है । धारा 212 के तीनों बिन्दू अपीलांट के पक्ष में साबित है । इसलिये अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये थी, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट गलत तौर पर खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2037/2 व 2037/2619 में अपीलांट ने अकेले विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है यानि इन खसरा नम्बरों में कोई कनेक्शन नहीं है । आराजी हाल खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

नम्बर 2037/1 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा में कृषि कनेक्शन रेस्पो0 नम्बर 01 और अपीलांट ने संयुक्त रूप से लिया हुआ है । बिल भी संयुक्त रूप से अदा करते हैं । आराजी हाल खसरा नम्बर 2037/1 का रेस्पो0 नम्बर 01 रेकार्डेड खातेदार है । इस खसरा नम्बर से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । अपीलांट काफी समय से शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार है और उसकी पत्नी संतोष लडाकू किस्म है, जो रेस्पो0 का संयुक्त कनेक्शन की मोटर से सिंचाई करने नहीं देती है, आये दिन झगडा करती है और मजाहमत पैदा करती है । इतना ही नहीं, उक्त संतोष देवी ने रेस्पो0 को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2037/1 में नया विद्युत कनेक्शन लेने नहीं दिया । जबकि उक्त आराजी से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि को स्वयं काश्त नहीं करता है, बल्कि वह अन्य लोगों को बटाई पर देता है, जो लोग रेस्पो0 से रंजिश रखते हैं । हमने किसी प्रकार की कोई मजाहमत अपीलांट के कब्जे काश्त में नहीं की है, बल्कि अपीलांट एवं उसकी पत्नी ही हमारे कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । धारा 212 के तीनों बिन्दू अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होंकर हमारे पक्ष में साबित है । इसलिये सही तौर पर तहत अदालत ने अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित आराजी के बारे में पक्षकारों के टाईटल का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं ,जिसके हमें धारा 212 के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टतयया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखना है । इन बिन्दूओं के परिप्रेक्ष्य में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत 2063–66 में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ विवादित खसरा नम्बर 2037, 2049, 2286, 2287 तथा 2334 पर महावीर प्रसाद, कर्णसिंह पुत्रान व मोहर कौर बेवा सुरता समभाग कौम जाट साकिन देह खातेदार का अंकन है । इस जमाबन्दी में इन्तकाल नम्बर 2837 दिनांक 2.3.2009 द्वारा खाता विभाजन किये जाने का नोट अंकित है । उक्त विभाजन में अपीलांट प्रार्थी महावीर प्रसाद पुत्र सुरता को भूमि खसरा नम्बर 2037/2/0.04, 2037/2619/3–07, 2049/1–14, 2286/0–05, 2287/0–05 व 2334/0–10 तथा रेस्पो0 कर्णसिंह पुत्र सुरता को भूमि खसरा नम्बर 1031/0–12, 1946/0–06, 2037/1/3–05, 2292/1–02,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2222/0–05, 2224/0–11 दी गई थी । विद्युत विभाग के सर्विस रजिस्टर के सर्विस नम्बर 9418 पर अपीलांट महावीर एवं रेस्पो0 कर्णसिंह का नाम अंकित है । उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि पूर्व में विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खाते की भूमि थी, जिसका बाद में विभाजन हो गया था । अपीलांट महावीर एवं रेस्पो0 कर्णसिंह ने संयुक्त रूप से विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया था, परन्तु कनेक्शन अपीलांट महावीर के नाम कर दिया गया, जिसकी शिकायत रेस्पो0 कर्णसिंह ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शाखा कोटकासिम को प्रार्थना पत्र दिनांक 14.2.2011 द्वारा की और अपना नाम कनेक्शन में जुडवाने की प्रार्थना की थी । इसके बाद रेस्पो0 कर्णसिंह ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 2037/1 में विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही शुरू की । रेस्पो0 को अपनी आराजी में विद्युत कनेक्शन लेने का पूर्ण अधिकार है । इस प्रकार प्रथमदृष्टतया मामला अपीलांट का सिद्ध न होकर रेस्पो0 का सिद्ध है । अगर रेस्पो0 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो इससे रेस्पो0 को असुविधा होगी और नापूर्तिजनक क्षति होगी । इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी अपीलांट प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है । विद्वान तहत अदालत ने सही तौर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.5.2012 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर